



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कारपोरेट आई०डी नं०: U40101UR2004GOI028675

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

दूरभाष नं० 0135-2642006, फैक्स नं० 0135-2643460, वेबसाइट: [www.ptcul.org](http://www.ptcul.org)

## सार्वजनिक सूचना

### वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक व्यापार योजना के अनुमोदन हेतु पिटकुल की याचिका पर विचार आमंत्रित किये जाते हैं

1. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (पिटकुल), उत्तराखण्ड राज्य की पारेषण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए व्यापार योजना के अनुमोदन हेतु माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका प्रस्तुत की हैं जिसमें इस नियंत्रण अवधि के दौरान किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण दिया गया है ।
2. पूरी याचिका किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय अथवा कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०, "विद्युत भवन", सहारनपुर रोड, माजरा, आई०एस०बी०टी० के निकट, देहरादून-248002, उत्तराखण्ड पर बिना किसी खर्च के देखी जा सकती है। याचिका के सम्बन्धित प्रपत्र याचिकाकर्ता के उपर्युक्त वर्णित कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।
3. उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट ([www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in)) एवं पिटकुल की वेबसाईट ([www.ptcul.org](http://www.ptcul.org)) पर भी उपलब्ध है।
4. उपरोक्त याचिका पर उपभोक्ताओं एवं अन्य स्टैकहोल्डर्स से आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। ये सुझाव/मत व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, आई०एस०बी०टी० के पास, पो०ओ०-माजरा, देहरादून-248171 अथवा ई-मेल द्वारा [secy.uerc@gov.in](mailto:secy.uerc@gov.in) पर आपत्तियाँ अथवा टिप्पणियाँ एवं उनके समर्थन में दस्तावेजों और प्रमाण के साथ दिनांक 31.01.2022 तक प्राप्त किये जायेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

**"राष्ट्र हित में बिजली बजायें"**